धारा 19 : जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना

(1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(2) धारा 16 की उपधार (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, इनपुटों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(3) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुट भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार जॉब कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होते हैं या जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे इनपुटों की पूर्ति उस दिन की गई थी, जब उक्त इनपुट भेजे गए थे :

परन्तु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।

(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे पूंजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परन्तु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात, जॉब कार्य करने के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए सांचों और डाई, जिग्स और फिक्सचरों और औजारों को, लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''प्रधान'' से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

उपयुक्त नियमः नियम 45

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी आईटीसी–04